

बिहार सरकार
वित्त विभाग

प्रेषक,

अरविन्द कुमार चौधरी
प्रधान सचिव

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव
सभी विभाग,
बिहार सरकार, पटना ।

पटना, दिनांक-22/01/2024

विषय - वित्तीय वर्ष 2023-24 के तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण में सम्मिलित
किये जाने हेतु प्रस्ताव दिनांक-23.01.2024 तक भेजने के संबंध में।
महोदय,

बिहार विधान मंडल के आगामी सत्र में तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण उपस्थापित किया जाना है। उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 3.0 प्रतिशत तक रखा जाना है।

1. स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद अंतर्गत तृतीय अनुपूरक में राशि उपबंध हेतु मात्र निम्नवत् प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाय :

(i) जिस विस्तृत शीर्ष एवं विषय शीर्ष में पहले से राशि का प्रावधान नहीं कराया गया हो, वहाँ टोकन प्रावधान के रूप में एक हजार रुपये प्रावधानित करने का प्रस्ताव देना होगा, शेष आवश्यक राशि का उपबंध पुनर्विनियोग द्वारा कराया जाना होगा।

(ii) मंत्रिपरिषद् द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के विरुद्ध शेष राशि के उपबंध हेतु।

2. केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत केन्द्रांश एवं राज्यांश मद तथा राज्य स्कीम के अन्तर्गत तृतीय अनुपूरक में राशि उपबंध हेतु निम्नवत् प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाय :

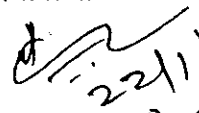
(i) योजना एवं विकास विभाग द्वारा प्राप्त आंतरिक सामंजन/अतिरिक्त उद्ब्यय के आलोक में प्रस्ताव प्रशासी विभाग द्वारा भेजा जा सकता है। ऐसे प्रस्ताव के साथ आंतरिक सामंजन/उद्ब्यय निर्धारण से संबंधित पत्र की प्रति भी संचिका पर रखी जाय।

3. विद्युत प्रभार अंतर्गत बकाया भुगतान हेतु राशि अनुपलब्धता की स्थिति में प्रशासी विभाग द्वारा प्रस्ताव उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

4. स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय/राज्य स्कीम/केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम अंतर्गत किसी उपशीर्ष अथवा विस्तृत एवं विषय शीर्ष में परिवर्तन अपेक्षित है, तो इसके लिए तृतीय अनुपूरक में संशोधित उपशीर्ष अथवा विस्तृत एवं विषय शीर्ष में प्रावधान हेतु प्रस्ताव दिया जाना होगा और इतनी ही राशि के प्रत्यर्पण हेतु आवेदन पत्र एवं अनुसूची हस्ताक्षर एवं निर्गत कर संचिका पर उपलब्ध कराया जाना होगा।

अनुरोध है कि तृतीय अनुपूरक आगणन में राशि सम्मिलित करने हेतु सभी प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए प्रस्ताव दिनांक-23.01.2024 तक विहित अनुसूची पाँच प्रतियों में हस्ताक्षरित कर संचिका के माध्यम से वित्त विभाग, बजट शाखा में अपराह्न 5 बजे तक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।

विश्वासभाजन


22/1/2024
(अरविन्द कुमार चौधरी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक:-ब17/बी.एस.जी.-157/2013/- 76 दिनांक.....22/01/2024

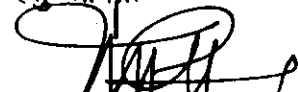
प्रतिलिपि- सचिव,बिहार विधान सभा/विधान परिषद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(संजीव मित्तल)

संयुक्त सचिव-सह-बजट पदाधिकारी

ज्ञापांक:-ब17/बी.एस.जी.-157/2013/- 76 दिनांक.....22/01/2024

प्रतिलिपि- माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/महानिबंधक, पटना उच्च न्यायालय एवं मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(संजीव मित्तल)

संयुक्त सचिव-सह-बजट पदाधिकारी

ज्ञापांक:-ब17/बी.एस.जी.-157/2013/- 76 दिनांक.....22/01/2024

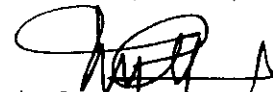
प्रतिलिपि- सचिव, लोक सेवा आयोग, बिहार/अध्यक्ष, बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(संजीव मित्तल)

संयुक्त सचिव-सह-बजट पदाधिकारी

ज्ञापांक:-ब17/बी.एस.जी.-157/2013/- 76 दिनांक.....22/01/2024

प्रतिलिपि- मुख्य लेखा नियंत्रक,वित्त (अंकेक्षण) विभाग/संयुक्त आयुक्त, भविष्य निधि निदेशालय/संयुक्त सचिव, प्रेस एवं स्टेशनरी/उप सचिव,पेंशन/अपर सचिव,लेखा/संयुक्त सचिव, स्थापना, वित्त विभाग/अपर सचिव, कोषागार शाखा/निदेशक, सांस्थिक वित्त, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(संजीव मित्तल)

संयुक्त सचिव-सह-बजट पदाधिकारी

ज्ञापांक:-ब17/बी.एस.जी.-157/2013/- 76 दिनांक.....22/01/2024

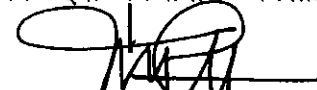
प्रतिलिपि- प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ सचिव(संसाधन)/विशेष सचिव के आप्त सचिव/बजट प्रशाखा के सभी अवर सचिव/सहायक निदेशक/लेखा पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी/सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


(संजीव मित्तल)

संयुक्त सचिव-सह-बजट पदाधिकारी

ज्ञापांक:-ब17/बी.एस.जी.-157/2013/- 76 दिनांक.....22/01/2024

प्रणाली विश्लेषक/आईटी0 मैनेजर, वित्त विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । प्रणाली विश्लेषक को निदेशित किया जाता है कि इसे विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाए।


(संजीव मित्तल)

संयुक्त सचिव-सह-बजट पदाधिकारी